न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 16/2021 (2021/28)

अपीलान्ट्स

1. नरपतसिंह पुत्र श्री भूरसिंह, उम्र – 84 वर्ष
2. कल्याणसिंह पुत्र श्री भूरसिंह, उम्र – 78 वर्ष
3. दुर्ग सिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, उम्र – 35 वर्ष
4. अर्जुनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, उम्र – 33 वर्ष
5. दुर्ग सिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, उम्र – 35 वर्ष
6. छतरसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, उम्र – 25 वर्ष
7. दुर्ग सिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, उम्र – 35 वर्ष
8. प्रेमसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, उम्र – 22 वर्ष
   जातियान राजपूत, निवासीगण – चैनसिंहनगर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. भूमिधारी तहसीलदार शेरगढ़, जिला जोधपुर।
2. मूलसिंह पुत्र श्री मलसिंह, जाति राजपूत, निवासी – चैनसिंहनगर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत् निरस्त करवाने नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 22.03.2015 तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया।

––––

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी (अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व 5)।
2. अधिवक्ता श्री विनोद राजपुरोहित (अपीलान्ट संख्या 4 व 6 से 8)
3. अधिवक्ता श्री जयदेवसिंह चारण (रेस्पोडेन्ट संख्या 02)

–: आदेश :– दिनांक :– 08.10.2021

संक्षिप्त में अपील अपीलान्ट तथ्य इस प्रकार है कि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम नामान्तरकरण संख्या 105 जो दिनांक 22.03.2015 को तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध में की है कि अपीलार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि ग्राम चैनसिंहनगर, तहसील शेरगढ़ में आई हुई है। अपीलार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु दस्तावेज तैयार करवाने के लिये पट[illegible] चला कि अपीलार्थीगण की खातेदार भूमि में से तहसीलदार शेरगढ के समक्ष [illegible]रिये समर्पण के द्वारा खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:41 IST
Reason: SelfAttested

461 व 477 में से 0.16 बीघा का रकबा रास्ते हेतु समर्पण दिया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 23.03.2015 को तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील पेश की है।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 13.09.2021 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु दस्तावेज तैयार करवाने के लिये पटवारी के पास गए तो पता चला कि अपीलार्थीगण की खातेदार भूमि में से तहसीलदार शेरगढ के समक्ष जरिये समर्पण के द्वारा खसरा संख्या 461 व 477 में से 0.16 बीघा का रकबा रास्ते हेतु समर्पण दिया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 23.03.2015 को तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी को समर्पणनामें के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 105 की जानकारी दिनांक 03.01.2021 को हुई। अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 105 की नकल ली तथा तहसीलदार शेरगढ के द्वारा समर्पणनामा के भी दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय शेरगढ से प्राप्त किये। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थीगण तहसीलदार के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा न ही किसी प्रकार के समर्पणनामा पर हस्ताक्षर किये। समर्पणनामा के लिये जो स्टाम्प खरीदा गया वह भी हस्ते ज्ञानसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह के नाम से खरीदा गया जिसक दिनांक 10.06.2004 अंकित है। उक्त स्टाम्प पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर कूटरचित एवं फर्जी तरीके से किये गये है क्योंकि अपीलार्थी संख्या 01 आज दिन तक अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में ही करता आया है तथा अपने सर्विस बुक, बैंक व अन्य दस्तावेजों में भी हस्ताक्षर अंग्रेजी में करता है जिसकी प्रतियां अपील के साथ पेश की गई। समर्पण की गई भूमि पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है।

अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि नामान्तरकरण भरने से पूर्व हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थीगण से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की गई और न ही मौके पर आकर किसी प्रकार के रास्ते संबंधी नाप–चोक, पैमाईश व पत्थरगढ़ी की गई। आज दिन तक मौके पर अपीलार्थीगण खेती करते आ रहे है।

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि दिनांक 03.01.2021 से पूर्व अपीलार्थीगण को उपरोक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी अपीलार्थीगण को जब इसकी जानकारी हुई तब से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आज दिन तक मौके पर अपीलार्थीगण खेती करते आ रहे है किसी प्रकार के रास्ते के संबंध में वहां पर कोई आलामात नहीं होने की वजस से ज्ञात नहीं हो पाया, अपीलार्थी को जनवरी माह में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की जरूरत पड़ी तथा पटवारी से दस्तावेज की नकल [illegible] हुआ कि मौके की स्थिति अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:41 IST
Reason: SelfAttested

है और रिकार्ड की स्थिति में बदलाव कर उसमें रास्ता दर्ज कर लिया गया है। अतः जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 105 जो दिनांक 23.05.2015 को तहसीलदार शेरगढ द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के विद्वान अभिभाषक श्री जयदेव सिंह चारण ने लिखित नजीरे पेश की –

1. R.R.T. 2009 (1) Page 19 Para (7) - नामान्तरकण जो तस्दीक किये गये है वह तहसील के आदेश व ग्राम पंचायत के आदेश की पालना में तस्दीक किये गये है किन्तु इन आदेशों को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। केवल इन आदेशों की पालना में तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। नामान्तरकरण अपने आप में कोई आदेश नहीं है। रेस्पोडेन्ट को तहसीलदार व ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देना चाहिए थी अतः ए0 डी0 सी द्वारा (अपील खारिज का) प्रसारित आदेश न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। इसलिए यह निगरानी खारिज की जाती है।
2. R.R.D. 1998 Page 628 Point (B) Para (11) - Mutation could not be challenged without securing annulment of order on basis of which mutation was affected. The non applicant cannot get the mutations set aside without getting the orders of Deputy Collector (Jagir) and S.D.O Jodhpur also set aside.
3. R.R.T. 2005 (2) Page 774 - नामान्तरकण का मूल आधार आदेश है तो आदेश को चुनौती दिये बिना नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण के विरूद्ध पेश अपील खारिज किया जाना विधिवत है।
4. R.R.T. 2001 (2) Page 1384 - जब तक निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हो जाता है तब तक जो नामान्तरकरण निर्णय की पालना में स्वीकार किया गया है उस नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः रेफरेन्स पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।
5. R.R.D. 2017 Page 180 - विशुद्ध रूप से विधिक आपत्ति/तनकी का निर्णय सर्वप्रथम किया जाना चाहिए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अभिभाषक ने उपरोक्त न्यायिक निर्णय पेश कर बतलाया कि प्रस्तुत अपील में नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है जो तहसीलदार के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने से पहले तहसीलदार के आदेश को [illegible]नी चाहिए थी जिसकी पालना में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:41 IST
Reason: SelfAttested

यह नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 23.03.2015 समर्पण– तहसीलदार शेरगढ़ के आदेश क्रमांक/सम/2014/2116 दिनांक 04.08.14 की पालना में भरा गया। अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील में मात्र नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है जबकि उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने से पहले तहसीलदार के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी जिसकी पालना में यह नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्टस संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय ग्राह्य योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 08.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:18:41 IST
Reason: SelfAttested